न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 05 / 2019 तारीख रजू :–08.01.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

...........आवेदक

बनाम

मदन सिंह पुत्र विशन सिंह जाति राजपुरोहित निवासी डोली राजगुडी पंचायत डोली कला जिला बाडमेर राजस्थान 344025 मैसर्स मां भवानी जोधपुर मिष्ठान्न भंडार मैन मार्केट मित्रपुरा तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर राज0।

...........अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 22/5/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 11.10.2018 को समय 03.00 पी.एम. पर दौराने गस्त फर्म – मैसर्स मां भवानी जोधपुर मिष्टान भंडार मैन मार्केट मित्रपुरा तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर पहुंचा वहां पर मदन सिंह पुत्र विशन सिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित निवासी डोली राजगुडी पंचायत डोली कला जिला बाडमेर राजस्थान उपस्थित मिला। आवेदक द्वारा स्वयं का परिचय दिया गया एवं विक्रेता से परिचय लिया गया। विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन/ खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति तथा आधार कार्ड की प्रति पेश की गई। तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरिक्षण किया गया तथा विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) दुकान में एल्युमिनियम ट्रे में रखी हुई थी के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच [illegible] सूचना फार्म नं0 5 अ की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता [illegible] आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) [illegible] वास्ते नमूना [illegible] हेतु क्रय कर राशि 500/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद गए खाद्य पदार्थ मावा बर्फ (मावा व चीनी से निर्मित) 02 किलोग्राम को चार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:29:45 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

बराबर भागों में विभक्त कर कांच की शिशियों में भरकर 40—40 बूंदे फार्मेलीन की डाल कर अच्छी तरह से बन्द किया गया ताकि चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक क नमूना भाग पर एक—एक लेबल चिपकाया गया तथा प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच 1504 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे सें बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये गये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में मोहम्मद असलम द्वारा खाद्य विश्लेष्क कोटा को जमा करवाकर अलग अलग रसीद प्राप्त की गई। यह है कि दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डीओ (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाइ माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0 ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/4063 दिनांक 31.10.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेष्क कोटा से प्राप्त जांच रिर्पोट सं0 585/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2018/634 दिनांक 26.10.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) में contains Extraneous matter पाया गया है। यह है कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने खाद्य पदार्थ मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) Contains Extraneous matter का विक्रय कर एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 54 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियोग पत्र स्वीकार कर अभियुक्त पर अधिकत्तम जुमाना लगाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त ने स्वयं उपस्थित होकर नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा contains Extraneous matter (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) खाद्य पदार्थ का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 54 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:29:45 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
...रिक्त जिला ...
सवाई माधोपुर

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस में अपनी विक्रय की गयी खाद्य सामग्री मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) को अच्छी क्वालिटी का बतलाया गया तथा निवेदन किया की एफएसल रिपोर्ट में मावा बर्फी के सेम्पल में अगर किसी तरह की कमी पाई गई है तो उसकी कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुये कम से कम अर्थिक दण्ड से दण्डित करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 585/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2018/634 दिनांक 26.10.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) में contains Extraneous matter (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया है ।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम व नियम, 2011 के नियम 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध प्रथम बार किया जाना पाया जाता है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 54 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 15,000/–रू0 (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25/4/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:29:45 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर